कार्यालय, प्राचार्य सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द

दिनांक 04.01.2021

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना

विद्यार्थियों में रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण एवं दक्षता हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) द्वारा रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गए है।

1. RSLDC द्वारा रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण हेतु चयनित 16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सूची संलग्नक 1 पर दी गई है। विद्यार्थियों को इन 16 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से ही किन्ही दो पाठ्यक्रमों का चयन करना है। प्रथम वरीयता में चयनित पाठ्यक्रम में किसी कारण प्रवेश नहीं मिलने पर विद्यार्थी द्वारा द्वितीय वरीयता पर चयनित कोर्स में प्रवेश को वरीयता दी जायेगी।
2. विद्यार्थियों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये नीचे दी गई लिंक पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किये बिना इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अन्तिम तिथि दिनांक 15 जनवरी 2021 है। इसके पश्चात् यह रजिस्ट्रेशन लिंक स्वतः बन्द कर दी जायेगी। अतः दिनांक 15 जनवरी 2021 के उपरान्त इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. विद्यार्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त उनकी सूची संबंधित महाविद्यालयों को उपलब्ध करवाई जायेगी, जिसका सत्यापन 2–3 दिवस के अन्दर पूरा करके महाविद्यालयों द्वारा अन्तिम सूची RSLDC को प्रेषित करनी होगी।
5. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रतिदिन 02 घण्टे अवधि की कक्षाएं लगवाई जायेंगी। आवश्यकता होने पर अवकाश के दिन भी कक्षाएं आयोजित करवाई जा सकेंगी, जिसकी पूर्व सूचना ऑनलाइन माध्यम से सभी को प्रेषित कर दी जायेगी।
6. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये वही विद्यार्थी आवेदन करें जिनके पास पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन जुडने के लिये वांछित संसाधन यथा एण्डरॉयड मोबाइल/लैपटॉप, प्रतिदिन 1.0 से 1.5 GB डाटा, आदि की व्यवस्था रखते हों। इन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये किसी भी प्रकार की संसाधन व्यवस्था विभाग/महाविद्यालय के स्तर पर करवाया जाना सम्भव नहीं होगा।
7. इस सत्र 2020–21 में इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में समस्त राजकीय महाविद्यालयों से केवल 3000 विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा। अतः विद्यार्थियों को शीघ्रतिशीघ्र आवेदन/रजिस्ट्रेशन करने के लिये महाविद्यालय द्वारा प्रयास किया जाना है।
8. इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आधार नम्बर आवश्यक है। जो विद्यार्थी RSLDC द्वारा पूर्व में आयोजित किसी प्रशिक्षण में भाग ले चुके हैं अथवा पंजीकृत हो चुके हैं, वे पुनः इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। एक विद्यार्थी/व्यक्ति RSLDC द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एक ही बार भाग ले सकता है।
9. योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते है।
   1. डॉ. सन्तोष भण्डारी : सह आचार्य व्य.प्रबंधन 9413402090
   2. श्री गजराज सिंह : सहायक–आचार्य अर्थशास्त्र 9950765425

प्राचार्य
सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमंद

D:\SRK\SRK\Skill Development/Notice

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0

List of Skill Courses

S. No.	Sector Name	Course Names	QP Code	Total Duration (in Hours)
1.	Automotive	Executive Sales and Value Added Services	ASC/Q1012	245
2.	Automotive	Showroom - Customer Relationship Executive	ASC/Q1111	245
3.	BFSI	Skills for Business Correspondence & Facilitation	BSC/Q0301	175
4.	BFSI	Accounts & Tax Assistant	BSC/Q8101	245
5.	BFSI	Stock Market Skills	BSC/Q0601-201	210
6.	BFSI	Skills for Life Insurance Agent	BSC/Q0101	210
7.	Beauty	Hair Styling & Beauty Therapy Skills	BWS/Q0201-101	210
8.	IT/ITes	CRM Skills Voice	SSC/Q2210	245
9.	IT/ITes	Data Entry Skills	SSC/Q2212	245
10.	Management	Office Management Skills	MEP/Q0202-5-7	210
11.	Management	Spoken English & Communication	-	210
12.	Retail	Sales Associate Skills	RAS/Q0104	210
13.	Telecom	Customer Care - Relationship Centre Skills	TEL/Q0101	210
14.	Tourism and Hospitality	Travel Consultant Skills	THC/Q4404	231
15.	Tourism and Hospitality	Skills for Tour Manager	THC/Q4405	210
16	Media & Entertainment	Digital Photography & Videography Skills	MES/101-102	175

बी. एल. गोयल, RAS
अतिरिक्त आयुक्त

❖ मुख्यमंत्री युवा कौशल योजनान्तर्गत केवल स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर भाग पूर्वाद्ध एवं उत्तरार्द्ध के विद्यार्थी ही प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र है। स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

Scanned by CamScanner